UGC Approved Journal
Research Link
Since March 2002
An International, Registered & Refereed Monthly Journal : Sociology
Research Link - 167, Vol - XVI (12), February - 2018, Page No. 131-133
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

# भारतीय सामाजिक मूल्यों एवं शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकारों की प्रासंगिकता

*प्रस्तुत शोधपत्र, भारतीय सामाजिक मूल्यों एवं शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकारों की प्रासंगिकता पर आधारित है। वर्तमान में मानवाधिकारों की समस्या के निराकरण के लिए भारत प्रयासरत है, मानव समाज में मौजूद समस्याओं को हल करना ही मानवाधिकार की संकल्पना का लक्ष्य है। विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध एवं दुर्घटनाओं आदि से पीड़ित व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास के मानवाधिकारों का ध्यान रखा जाना अपेक्षित है। मानवाधिकारों की शिक्षा को अनिवार्यतः जनता को ज्ञान दिया जाना चाहिए। शिक्षा के प्रति सामाजिक जागरुकता को फैलाने की आवश्यकता है। मानवाधिकार शिक्षा द्वारा ही भारतीय समाज में फैली हानिकारक रुढ़ियां एवं अन्य सामाजिक समस्याओं का निराकरण संभव है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार और उसकी रक्षा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनकर सार्वभौमिक सत्यता का सूत्रपात कर रहा है। परस्पर सद्भाव द्वारा ही हम मानवाधिकारों की रक्षा कर सकते हैं।*

**डॉ.अर्चना गोदारा**

एक ऐसा हक जो हमारे जीवन और मान–सम्मान से जुड़ा है, मानवाधिकार है। यह ऐसा अधिकार है जो सीधा प्रति से सम्बंधित है। मानवाधिकार शब्द दो शब्दों मानव और अधिकार को मिलाकर बनाया गया है।

मानव अधिकार किसी भी मानव विशेष के अस्तित्व के लिए अतिआवश्यक है। मानवजाति के लिए मानवाधिकारों का व्यापक और असीम महत्त्व है। जीने का अधिकार कानून सम्मत नहीं है, लेकिन समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रकृति द्वारा सामान रूप से प्रदान किया गया अधिकार है। प्रकृति के अलावा मनुष्य द्वारा बनाये गए कानून का उद्देश्य भी मानवाधिकारों की रक्षा करना ही है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार और उसकी रक्षा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनकर सार्वभौमिक सत्यता का सूत्रपात कर रहा है।

भारतीय समाज अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए विश्व प्रसिद्ध है। विश्व में भारत के सांस्कृतिक मूल्य एवं शिक्षा हमेशा से ही अन्य देशों को आकर्षित करते रहे हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा हमेशा से हमारे विभिन्न मल्यों का वर्णन मिलता है। भारतीय संविधान मौलिक अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। वास्तव में यदि भारतीय समाज के स्वरूप का चिंतन किया जाये, तो इसमें मूल्यों की शिक्षा और मानवाधिकार से सम्बंधित विचारों की कथनी और करनी में बहुत अंतर देखने को मिलता है। मानवाधिकार किसी भी मानव विशेष के सुखद जीवन एवं अस्तित्व के लिए अति आवश्यक है। यह अधिकार मनुष्य योनि में जन्म लेते ही प्राप्त हो जाता है। मूल्यों से तात्पर्य उन गुणों से है, जो मानव के सम्पूर्ण जीवन के विकास में सहायक होते हैं। मूल्य ही व्यक्ति को समाज में सामंजस्य करने में सहायता प्रदान करते हैं तथा एक अच्छे नागरिक बनने में सहायता प्रदान करते हैं। विश्व में अनेक देश हैं और प्रत्येक देश की अपनी संस्कृति एवं मूल्य है, जो उन देशों के नागरिकों द्वारा बनाये गए हैं। मूल्य अपना विशेष महत्व एवं स्थान रखते हैं। विभिन्न मूल्य जैसे सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों के आधार पर ही हम किसी देश की सामाजिक व्यवस्था को समझ सकते हैं। विभिन्न समाजों को जानने का शिक्षा एक सरल एवं सर्वोत्तम माध्यम है। शिक्षा ही है, जिसने हमें अपने देश के अलावा अन्य देशों से भी परिचित करवाया है। शिक्षा के द्वारा ही मूल्यों का संचार होता है को व्यक्ति के विकास में सहायक होते हैं। किसी भी देश के सुशिक्षित नागरिक उस देश की उन्नति के कारक होते हैं।

**शिक्षा :** शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व की विकसित करने वाली प्रक्रिया है। इसके द्वारा लोगों में आत्मसात करने, ग्रहण करने, रचनात्मक कार्य करने, दूसरों की सहायता करने और राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों में पूर्ण सहयोग देने की भावना का विकास होता है। यह समाज में सदैव चलने वाली उद्देश्यपूर्ण सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रिया है। प्रत्येक सभ्य समाज शिक्षा को अनिवार्य मानता है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति के जीवन के प्रति अगला कदम है। शिक्षा व्यक्ति को ज्ञान के प्रकाश से शुभाशुभ, भले–बुरे की पहचान कराके आत्मविकास की प्रेरणा देती है। उन्नति का प्रथम सोपान शिक्षा है। उसके अभाव में हम लोकतंत्र और भारतीय संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकते। वर्तमान शिक्षा में नैतिक मूल्यों की महती आवश्यकता है। समाज के बिना व्यक्ति का विकास संभव नहीं है और समाज ही वह आधार है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मानववादी मूल्यों का विकास कर सकता है। शिक्षा एक ऐसा

*व्याख्याता ( समाजशास्त्र विभाग ), चौ.बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय, श्रीगंगानगर ( राजस्थान )*

उपकरण है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज के प्रति उत्तरदायी बनता है और उसकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील भी होता है। यूनिवर्सल एजुकेशन कमीशन के अनुसार, ''शिक्षा केवल जीवन या आय का साधन नहीं है, न ही नागरिकों के लिए किसी स्कूल या विचारों की नर्सरी है। यह सही अर्थों में जीवन के प्रति अग्रिम पग है, यह मनुष्य का सदगुणों के अभ्यास तथा सच के पीछे लगाने का प्रशिक्षण है।''

**मूल्य :** किसी भी इंसान के जीवन में मूल्यों का अहम योगदान रहता है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर अच्छा–बुरा या सही–गलत की परख की जाती है। मानव को सामाजिक प्राणी होने के नाते कुछ सामाजिक मर्यादाओं का पालन करना आवश्यक होता है। समाज की इन मर्यादाओं में सत्य, अहिंसा, दया, नम्रता सच्चरित्र आदि गुण आते हैं। ये मूल्य समाज में अपना विशेष महत्व रखते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में मूल्यवान वस्तुओं को ही प्राप्त करना चाहता है तथा साधन के रूप में वह शिक्षा का इस्तमाल करता है। व्यापक रूप से मूल्य 'जो होना चाहिए' से सबंधित धारणाएँ हैं, जो हमारे विशिष्ट व्यवहार को प्रभावित करती है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा सामाजिक व्यवस्था के साथ बहुत गहराई से जुड़े होते हैं। मूल्य हमारे, उद्देश्यों, व्यक्तित्व, हमारे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धातों को नियंत्रित करते हैं और सामाजिक जीवन में दूसरों की एवं समूचे समाज के रूप में समूह आवश्यकताओं को भी नियंत्रित करते हैं। हमारी उद्देश्यपूर्ण गतिविधियों मूल्यों से जुड़ी होती है।

दार्शनिकों के द्वारा आठ प्रकार के मूल्य को बताया गया है, जो निम्नलिखित हैं :

(1) सामाजिक संबंधों के मूल्य (2) आर्थिक मूल्य
(3) मनोरंजन के मूल्य (4) बौद्धिक मूल्य (5) धार्मिक मूल्य
(6) शारीरिक मूल्य (7) चरित्र संबंधी मूल्य
(8) कला संबंधी मूल्य।

सामाजिक मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण मूल्य हैं, जिसके द्वारा उत्तम समाज का निर्माण होता है। सभी मूल्य एक ही स्तर के नहीं होते बल्कि उनमें संस्तरण देखने को मिलता है। इस संस्तरण का संबंध मूल्यों के आयामों से होता है। मूल्यों के तीन आयाम – (1) जैविक (2) सामाजिक (3) आध्यात्मिक है। स्वतंत्रता के पश्चात निर्मित संविधान एवं समय–समय पर गठित शिक्षा संबंधी आयोगों तथा समितियों का नैतिक मूल्य व नागरिक बोध संबंधी शिक्षा को महत्वपूर्ण बताया है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो समाज में शिक्षा की गुणवत्ता में लगातार गिरावट आ रही है, जिसके लिए विभिन्न कारक जिम्मेदार हैं। हमें सुधार हेतु प्रयास करने होंगे। मानवाधिकार भारत का स्वीकृत सिद्धांत है, लेकिन मानवाधिकार की व्याख्या तथा इन्हें प्रवर्तित करने के तरीकों को लेकर भारत का विभिन्न देशों से मतभेद है। भारत का विचार है कि मानवाधिकारों को सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ मानवाधिकारों को कई चुनौतियाँ है। संविधान में लेख 12 ए के अंतर्गत ''शिक्षा का अधिकार'' एक मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार अन्य मानव अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

**मानवाधिकार शिक्षा का महत्व :** शिक्षा व्यक्ति को शांति, गैर–भेदभाव, समानता, न्याय तथा अंहिसा जैसे मूल्यों से अवगत कराती है। सहिष्णुता, शांति और मानव गरिमा के लिए सुरक्षा और सम्मान इन उद्देश्यों की पूर्ति केवल मानव अधिकार के माध्यम से ही सम्भव है और शिक्षा वो माध्यम है, जिसके द्वारा मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जा सकती है।

**मानवाधिकार शिक्षा के उद्देश्य :**

(1) मानवाधिकार शिक्षा व्यक्तियों के मानवाधिकारों के सम्मान को बढ़ावा देना।

(2) यह ज्ञान कौशल और मानव अधिकारों के मूल्यों को विकसित करना।

(3) मानव के मनोवैज्ञानिक एवम सामाजिक व्यक्तित्व को विकसित करना।

(4) लोगों और नीति निर्माताओं की समस्याओं को सुलझाना।

(5) सहिष्णुता लैंगिक समानता को बढ़ावा देना।

दुर्भाग्यवश सभ्यता के प्रारंभ से ही विश्व को मानव मात्र के कर्तव्य व अधिकारों की शिक्षा देने वाला वर्तमान समय में दुनिया का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र भारत आज स्वयं मानवाधिकार के हनन के आरोप से कलंकित है। मानवाधिकारों के संदर्भ में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत मिली–जुली तस्वीर पेश करता है।

भारत के विशाल आकार और विविधता, संप्रभुता संपन्न, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतन्त्र के रूप में इसकी प्रतिष्ठा तथा भूतपूर्व औपनिवेशिक राष्ट्र के रूप में इसके इतिहास के परिणामस्वरूप इसकी स्थिति जटिल हो गयी है। अगर भारत में मानवाधिकारों की बात की जाये, तो यह प्रायः यह प्रतीत होता है की यहाँ आज भी एक खास तबके के लोगों को ही हैसियत के अनुसार मानवाधिकार मिल पाते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान आदि राज्यों में जहाँ साक्षरता का स्तर थोड़ा कम है, वहाँ मानवाधिकारों का हनन आम बात है। इन राज्यों के पिछड़े और अशिक्षित क्षेत्रों में प्रायः बेकसूर और गरीब लोगों पर पुलिस और प्रशासन द्वारा अमानवीय तरीके से कानूनी कार्यवाही करने अथवा अन्य तरीके से शोषण किये जाने की घटनाएँ चर्चा में बनी रहती हैं, लेकिन इसके विपरीत जिन शहरों में लोग साक्षर हैं, वहाँ इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं।

मानवाधिकार एक ऐसा विषय है, जो सभी सामाजिक विषयों में सबसे गंभीर है। जिस पर हम एक पक्षीय विचार नहीं कर सकते हैं। किन्तु अपने राजनीतिक या स्वार्थपरक अथवा अन्य दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मानवाधिकारों का सहारा लेना बिलकुल गलत है।

प्रकृति के अलावा मनुष्यों द्वारा बनाये गए विधि सम्मत कानून का भी यह कर्तव्य है कि वह मानवाधिकारों की रक्षा करें। हमारे मानव समाज में मानवाधिकारों के प्रति चेतना आम लोगों में विशेष रूप से दिखाई नहीं पड़ती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे देश में आये दिन घटित होने वाली महिलाओं के शारीरिक और मानसिक शोषण और प्रताड़ना की घटनाएँ, प्रतिदिन होने वाली हजारों हत्याएँ भारतीय संस्कृति की गरिमा तार–तार करती हैं। आज भारत में मानवाधिकार के हनन के विभिन्न रूप विद्यमान हैं, जो आए–दिन मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुँचते रहते हैं। इनके अंतर्गत चोरी, डाका, अपहरण, हत्या, अपमान, वेश्यावृत्ति, आतंकवाद, बलात्कार, उग्रवादियों द्वारा निरीहों की हत्या, जातीय व भाषाई तनाव, अलगाववाद आदि आते हैं।

भारत में सशक्त न्यायपालिका, अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग आदि सरकारी संस्थाएँ मौजूद हैं, जो मानवाधिकारों के आर्थिक और सामाजिक पक्ष की प्रतिष्ठा के लिए प्रयासरत हैं, किंतु इसके दोषपूर्ण कार्यान्वयन से मानवाधिकार के हनन की घटनाएँ आम बन गई हैं। मानवता के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकने और उसके विरूद्ध संघर्ष को नया आयाम देने मानवाधिकार दिवस की महत्वपूर्ण भूमिका है। हर साल 10 दिसंबर को ''अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस'' मनाया जाता है। भारत में 28 सितंबर 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया। भारत के संविधान में भी मानव अधिकारों को पर्याप्त मान्यता देते हुए मानवाधिकारों कि अन्तर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र को प्रत्याभूत किया गया है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वो के अन्तर्गत लोक कल्याणकारी राज्य के निर्माण के दृष्टिकोण से तथा मौलिक अधिकारों के साथ प्रतिष्ठित एवम गरिमा युक्त जीवन जीने के अधिकार की गारंटी देता है।

मानवाधिकारों पर भारतीय पहल काफी उद्देश्यपूर्ण है। कुछ गैर–सरकारी संस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा भारत में, विशेषकर कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में मानवाधिकारों के कथित हनन के प्रचार के विरुद्ध काररवाई हेतु भारत सरकार ने संसद में मानवाधिकार विधेयक पारित कराया, जिसके कारण मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। वर्तमान में यह आवश्यक है कि हमारी शिक्षा प्रणाली उन विशेष बिन्दुओं के प्रति जागरूक करें जो सामाजिक न्याय को बनाये रखने में सहायक है। वर्तमान सामाज में फैली कुरीतियाँ जिनमें जाति व्यवस्था, धर्म अन्धता आदि ऐसी समस्याएँ हैं, जिनकी आड़ में बहु –बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। परम्परा रीति–रिवाज के नाम पर समय–समय पर नारी को उसके अधिकारों से वंचित कर उसका शोषण किया जाता है। जब तक हम श्रेष्ठ एवं स्वस्थ शिक्षा प्रणाली को नहीं अपनायेंगे, तब तक रूढ़िवादी सोच को समाप्त नही कर सकते। अच्छी शिक्षा एवं मूल्य ही सकारात्मक सोच एवं कार्यों को उन्नत कर सकते हैं।

अतीत साक्षी है कि भारत ने हमेशा मानवीय मूल्यों–करुणा, दया, सहिष्णुता, अहिंसा, सत्य, धर्म, परोपकारिता, नारी–सम्मान, नैतिकता आदि की कसौटी पर खरी उतरकर जीवन उद्देश्य, समाज उद्देश्य और राष्ट्र उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास किया है और इसमें सफलता भी प्राप्त की है।

वर्तमान में मानवाधिकारों की समस्या के निराकरण के लिए भारत प्रयासरत है, मानव समाज में मौजूद समस्याओं को हल करना ही मानवाधिकार की संकल्पना का लक्ष्य है। विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध एवं दुर्घटनाओं आदि से पीड़ित व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास के मानवाधिकारों का ध्यान रखा जाना अपेक्षित है। जिससे लोगों की भाव–अभिव्यक्ति और धार्मिक स्वतंत्रता एवं भय तथा अभाव मुक्त जीवनयापन कर सके तथा एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना जिससे जनसाधारण की सर्वोच्च आकांक्षा पूर्ण हो सके, क्योंकि सम्पूर्ण मानव समाज के सभी सदस्यों के जन्मजात गौरव और समान अविच्छिन्न अधिकार की स्वीति ही विश्व शांति, न्याय और स्वतंत्रता की बुनियाद है। यद्दपि किसी भी प्रकार के अन्याय और अत्याचार तथा अत्याचार के विरुद्ध हिंसक विद्रोह से मानव समाज को बचाने के लिए कानून द्वारा नियम बनाकर मानव अधिकारों की रक्षा करना श्रेष्ठ उपाय सिद्ध हो सकता है और यह तभी सम्भव जब घोषणाओं का वास्तविक क्रियान्वयन हो। जिससे मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणा–पत्र सिर्फ दस्तावेज बनकर न रह जाएँ।

उपरोक्त अध्ययन के बाद निष्कर्ष निकलता है कि मानवाधिकारों की शिक्षा को अनिवार्य को जनता को इसका पूर्ण ज्ञान करवाया जाना चाहिए। शिक्षा के प्रति सामाजिक जागरूकता को फेलाने की आवश्यकता है। मानवाधिकार शिक्षा द्वारा ही भारतीय समाज में फैली हानिकारक रूढ़ियाँ एवम अन्य सामाजिक समस्याओं का निराकरण सम्भव है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार और उसकी रक्षा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनकर सार्वभौमिक सत्यता का सूत्रपात कर रहा है। परस्पर सद्भाव द्वारा ही हम मानवाधिकारों की रक्षा कर सकते हैं।

***सन्दर्भ :***


*(1) शर्मा, बांकेलाल (1984) : दर्शनशास्त्र प्रवेशिका, गोयल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ।*

***(2)*** *कोठारी, अनिता (2010) : भारतीय समाज एव मानवाधिकार, आदि पब्लिकेशन, जयपुर।*

***(3)*** *नेमा, जे.पी. व शर्मा, के.के. : मानवाधिकार सिद्धान्त और व्यवहार, रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर।*

***(4)*** *शर्मा, श्रीमती पूजा : महिलाएँ और मानवाधिकार, सागर पब्लिकेशन, जयपुर।*

***(5)*** *शर्मा, सुरेन्द्र कुमार (2010) : महिलाओं के अधिकारों के प्रति चेतना, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर।*

***(6)*** *शर्मा, जी.एल. व शर्मा, वाई.के. (2008) : समाजशास्त्र विश्व कोश, यूनिवर्सिटी बुक हाउस प्रा.लि., जयपुर।*

***(7)*** *भारत का संविधान।*

***(8)*** *www.wikipedia.com*


❁❁


**UGC -**

**APPROVED - JOURNAL**

**UGC Journal Details**

| | |
|---|---|
| Name of the Journal : | Research Link |
| ISSN Number : | 09731628 |
| e-ISSN Number : | |
| Source: | UNIV |
| Subject: | Accounting;Anthropology;Business and International Management;Economics, Econometrics and Finance(all);Education;Environmental Science(all);Finance;Geography, Planning and Development;Law;Political Science a;Social Sciences(all) |
| Publisher: | Research Link |
| Country of Publication: | India |
| Broad Subject Category: | Arts & Humanities;Multidisciplinary;Social Science |

UGC Approved Journal
Research Link
Since March 2002
An International, Registered & Refereed Monthly Journal : Sociology
Research Link - 167, Vol - XVI (12), February - 2018, Page No. 134-135
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

# प्राथमिक शिक्षा एवं सामुदायिक व निजी सहभागिता

*प्रस्तुत शोधपत्र में प्राथमिक शिक्षा एवं सामुदायिक व निजी सहभागिता से सम्बंधित है। भारत सरकार के सार्वभौमिक व सर्वसुलभ शैक्षिक अभियानों में वित्त की कमी, कमजोर प्रबंधन एवं लचर निरीक्षण की समस्या उभरकर सामने आई है। उस पर सरकार द्वारा अन्य विकसित एवं विकासशील देशों की तुलना में शिक्षा पर अपनी सकल घरेलू उत्पाद ( जी.डी.पी. ) का मात्र चार प्रतिशत ही खर्च करना सौ प्रतिशत गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्राप्ति के लक्ष्य को कमजोर बनाता है। भारत में शिक्षा की दशा और दिशा को सुधारने और आवश्यक सुझाव देने के लिए बनाए गए कोठारी आयोग ने भी शिक्षा पर दशकों पूर्व जी.डी.पी. का 6 प्रतिशत खर्च करने का सुझाव दिया था। फिर वर्ष 2009 में बनाए गए शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा सरकार ने 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार तो दे दिया, किन्तु इस लक्ष्य को पाने के लिए बनाए गए कई नियमों की पूर्ति वर्तमान तक भी नहीं हो पाई है, जिसमें स्कूल का आधारभूत ढाँचा, शिक्षक की आवश्यक योग्यता जैसे नियम देश के कई स्कूलों द्वारा अभी तक पूर्व नहीं किए गए हैं। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षा की प्राप्ति के लिए निजी सहभागिता के साथ ही सामुदायिक सहभागिता को भी नवीन दिशा देने की आवश्यकता है। जिसमें निजी स्कूलों, निजी संस्थानों सभी पर नजर रखने और उन्हें आवश्यक निर्देश देने वाली कानून सम्मत व्यवस्था का निर्माण करना होगा, सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाने के लिए आवश्यक समरसता के कार्यक्रम चलाने होंगे, ईमानदारी से पालन करना होगा।*

**गब्बू डावर**

भारत में सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का चार प्रतिशत शिक्षा पर कुल व्यय किया जाता है, जबकि कोठारी आयोग 6 प्रतिशत खर्च करने की सिफारिश बहुत पहले ही कर चुका है। शैक्षिक अभियानों की असफलता में पर्याप्त वित्तीय साधनों की कमी, प्रबन्धन व निरीक्षण की समस्या प्रमुख रूप से सामने आई है। लगातार इन्हीं समस्याओं से योजनाओं की असफलता के कारण वर्तमान में वित्तीय साधनों की पूर्ति के लिए निजी सहभागिता व प्रबन्धन तथा निरीक्षण प्रक्रिया को विकेन्द्रीकृत करने के लिए स्थानीय सामुदायिक व पंचायती निकायों की सहभागिता के सुझाव लगातार प्रस्तुत किये जा रहे है, प्रतीत भी यही होता है कि निजी सहभागिता के बिना शायद शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 का सफल क्रियान्वयन नहीं हो सकता है। शिक्षा नीति 1992 के बाद प्रबन्धन द्वारा विकेन्द्रीकरण के लिए हर गाँव में शिक्षा समिति का गठन इस दिशा में पहला कदम था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009, के बाद शिक्षा का सर्वव्यापीकरण सरकार की जिम्मेदारी है, परन्तु मात्र कानून बनने से सर्वव्यापीकरण का लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता है। वर्तमान तक भारी राशि खर्च करने के बाद भी स्कूल से बाहर करोड़ो बच्चों के साथ समान शिक्षा व सामाजिक समानता का लक्ष्य दूर स्थित है। इन सभी समस्याओं के निदान के लिए शिक्षाविद् व नीति निर्माता इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निजी भागीदारी या स्थानीय सामुदायिक सहभागिता के साथ नवीन योजना के रास्ते की तलाश का प्रयास कर रहे हैं। सरकार द्वारा शिक्षा पर भारी राशि खर्च के बाद भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होना और दूसरी ओर देश में प्रायवेट स्कूलों का सरकारी स्कूलों के बजट से आधे बजट में अधिक गुणवत्ता के साथ संचालित होना शासन की कमजोर इच्छाशक्ति, लचर नियन्त्रण व अव्यवस्थित प्रबन्धन को इंगित करता है। राजस्थान, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में प्रति विद्यार्थी औसत फिस 300 रू. है और उनके प्रदर्शन का बेहतर होना व कम खर्च में संचालन सरकारी अभियानों में निजी भागीदारी के लिए प्रेरित करता है। परंतु सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 में निजी विद्यालयों में स्थानीय वंचितों व दलितों के लिए निर्धारित 25 प्रतिशत आरक्षण व्यावहारिक व कारगार प्रतीत नहीं होता। सरकारी विद्यालायों में व निजी अंग्रेजी माध्यमों के स्कूलों के विद्यार्थीयों की सामाजिक व आर्थिक परिस्थिति में व्याप्त अंतर को सरकार द्वारा वंचित बच्चों की मात्र फीस देकर खत्म नहीं किया जा सकता है।

स्थानीय निकायों जैसे– पंचायत, ग्राम शिक्षा समिति व पालक शिक्षक संघ को शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के अभियान में शामिल कर सफलता–सुनिश्चित होने की संभावना तो प्रतीत होती है। वहीं अध्ययनों से भी स्पष्ट है कि ग्राम शिक्षा समिति व पंचायतों की सहभागिता ने नामांकन में वृद्धि की है व संचालन व्यवस्था में भागीदार बनकर व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में सहयोग प्रदान किया है। पालक शिक्षक संघ, ग्राम शिक्षा समिति व स्थानीय पंचायतों के व्यवस्था में शामिल होने के बाद शाला त्यागी बच्चों की संख्या में गिरावट आई है, परन्तु एक व्यावहारिक समस्या यह है कि भारतीय

*शोधछात्र, माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, इन्दौर ( मध्यप्रदेश )*

समाज कई स्तरो पर विभाजित होने से, व्यक्तियों की सामाजिक परिस्थिति में व्याप्त अंतर इन निकायों की सफलता को कम करता है। भारतीय जाति व्यवस्था व आर्थिक आधार पर प्राप्त परिस्थिति के कारण इन निकायों में सदस्यों की भर्ती अलोकतांत्रिक हो जाती है। वहीं निम्न वंचित वर्ग के नागरिकों के इन निकायों में सहभागी होने पर भी उच्च वर्ग के सदस्यों द्वारा निम्न वर्ग के सदस्यों के प्रति दूरी व घृणा के भाव स्वाभाविक रूप से रखे जाते हैं। यह सभी कारण इन निकायों की स्वाभाविक संचालन व्यवस्था को बाधित कर इनकी सफलता को सशंकित करते है। कई परिवर्तनों व सामाजिक आंदोलनों के बाद भी व्याप्त सामाजिक असमानता दूर नहीं हुई है, अतः ग्रामीण देश में इन स्थानीय निकायों की 100 प्रतिशत सफलता की गारण्टी कोई व्यवस्था या प्रणाली नहीं दे सकती है।

अधिनियम में निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था के स्थान पर सरकार को एक विधिवत् कानून सम्मत प्रणाली का गठन करके एक विशेष अनुदान वाली व्यवस्था का निर्माण करने की आवश्यकता है, जिसमें स्थानीय निजी स्कूलों की भागीदारी, कार्य व कर्त्तव्य निश्चित करना होंगे। देश के निजी स्कूलों के विशाल तंत्र को सरकार द्वारा शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लक्ष्य में सम्मिलित करने की किसी व्यावहारिक व कारगार नीति का निर्माण करके ही निजी सहभागिता को आकर्षित करना होगा, अन्यथा यह योजना भी अन्य आकर्षक योजनाओं की तरह असफल हो जाएगी। अतः इसके लिए निजी विद्यालयों का निरीक्षण, उनको अनुदान, व्यावहारिक व स्पष्ट नियमों से युक्त तंत्र पहले विकसित किया जाना चाहिए, परन्तु समस्या यह है कि इस तरह का निजी सहभागिता का मॉडल बनाना अत्यंत कठिन व अव्यावहारिक ही लगता है।

1986 में राजीव गाँधी सरकार द्वारा निर्मित नवीन शिक्षा नीति के गठन के बाद निर्मित किये गये नवोदय विद्यालयों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इन आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले ग्रामीण विद्यार्थियों में शैक्षणिक स्तर में गुणात्मक वृद्धि हुई है। यह भी मूल्यांकन किया गया हैं कि उन विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता के प्रति अभिवृत्ति में भी सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। इन सकारात्मक परिणामों को देखते हुए सरकार को इस प्रकार के आवासीय विद्यालयों की स्थापना वृहद पैमाने पर ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए निजी भागीदारों के साथ करने हेतु योजना पर विचार करना चाहिए। ऐसे विद्यालय शाला त्याग की समस्या से मुक्ति देकर ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए वरदान सिद्ध होंगे।

***संदर्भ :***


*(1) भारत का संविधान (2014) : मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, मध्यप्रदेश।*

***(2)*** *Jain Pankaj S. and Dholakia Ravindra H. (2010) : Right to Education Act. and Public- Private partnership, EPW, Vol. XLV No.8, P-78.*

***(3)*** *Khothari Commission Report (1966) : Government of India.*

***(4)*** *National Education Policy (1968) : Government of India.*

***(5)*** *National Education Policy (1986) : Government of India.*

***(6)*** *New National Education Policy (1992) : Government of India.*

***(7)*** *National Sample Serve Report (1986) : Government of India.*

***(8)*** *त्रिवेदी, शारदा (2001) : नई शिक्षा नीति और नवोदय विद्यालय : डॉ आम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महू (म. प्र.), पेज 62.*

***(9)*** *वार्षिक बज़ट (2017–18) : भारत सरकार।*

***(10)*** *Vshadevi M.D. (2001) : Grassroots structures in decentralised management of elementary Education in Karnataka, Indian Social Science Review, Vol.5, No.2, ISSN No. 0972-0731, P-295.*


❁❁


**UGC -**

**APPROVED - JOURNAL**

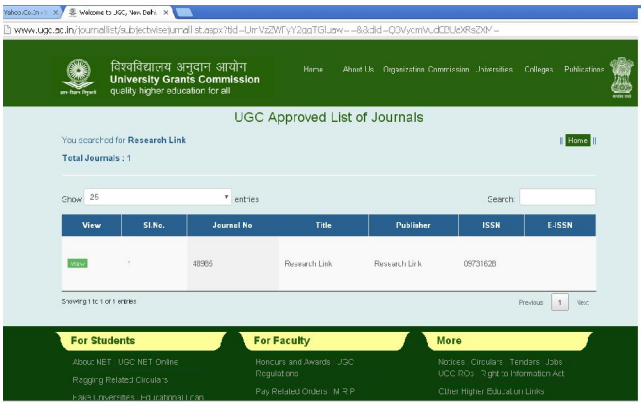


**UGC Journal Details**

| | |
|---|---|
| **Name of the Journal :** | Research Link |
| **ISSN Number :** | 09731628 |
| **e-ISSN Number :** | |
| **Source:** | UNIV |
| **Subject:** | Accounting;Anthropology;Business and International Management;Economics, Econometrics and Finance(all);Education;Environmental Science(all);Finance;Geography, Planning and Development;Law;Political Science a;Social Sciences(all) |
| **Publisher:** | Research Link |
| **Country of Publication:** | India |
| **Broad Subject Category:** | Arts & Humanities;Multidisciplinary;Social Science |

Print

'रिसर्च लिंक' की सदस्यता का शुल्क भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सीधे ट्रांसफर या जमा किया जा सकता है। बैंक का विवरण निम्नानुसार है-

**बैंक :** स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया

**ब्रांच :** ओल्ड पलासिया, इन्दौर,

**कोड - SBIN 000 3432**

**खाते का नाम : रिसर्च लिंक,**

**खाता नंबर - 63025612815**

भुगतान की मूल रसीद, शोध-पत्र एवं सीडी के साथ कार्यालयीन पते पर भेजना अनिवार्य है।